

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 24 फरवरी, 2006/फाल्गुन 05, 1927(शक)

संख्या- 132

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ., नन्द नगरी, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री बलजोर सिंह को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 22.02.2006 को 1255 बजे, नन्द नगरी, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से 1538 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Friday 24th February 2006/ 5 Phalgun 1927 (Saka)

No. 132

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Nand Nagri, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Sh. Baljor Singh, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Nand Nagri, Delhi at 1255 Hrs. on 23.2.2006.

He was released at 1538 Hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary